(सुरक्षित आदेश)।

उत्तराखंड के उच्च न्यायालय अव्यवस्थित में

के क्रिमिनल आवेदन संख्या 404 / 2019

श्रीमती नीतू सिंह उर्फ नीतू कैंथ
आवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य------ प्रतिवादी

उपस्थित– श्री राकेश थपलियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहायता की गई श्री ललित शर्मा आवेदक के वकील।
श्री शुभाश त्यागी भारद्वाज, उपमहाधिवक्ता एवं श्री वी०एस०राठौर ब्रिफ होल्डर राज्य / प्रतिवादी संख्या 1
श्री वीके कोहली वरिष्ठ अधिवक्ता सहायता की गई श्री कांति राम शर्मा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता।

लोकपाल सिंह जे०

वर्तमान फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र, आवेदिका श्रीमती नीतू सिंह उर्फ नीतू कैंथ के द्वारा विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश देहरादून द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 242 / 2018 श्रीमती सुरिंदर कौर और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 04.02.2019, जिसके द्वारा निजी विपक्षीगण का पुनरीक्षण स्वीकार किया गया था तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2018 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया, के विरूद्ध पेश किया गया है।

2. वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य यह हैं कि प्रारंभिक में आवेदिका द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0149 धारा 498.ए और 323 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन राजपुर जिला देहरादून में दर्ज किया गया था। यह रिकॉर्ड में आया है कि संबंधित मामलों में प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय देहरादून ने आदेश दिनांक 09.05.2018 06.09.2018 और 11.09.2018 को नामांकन के माध्यम से प्रार्थिनी अपने पुत्र मास्टर परमीत सिंह सागर को लेकर आए ताकि पक्षकारगण को मास्टर परनीत सिंह सागर से मिलने की अनुमति दी जा सके। लेकिन प्रार्थिनी श्रीमती नीतू सिंह उर्फ नीतू कैंथ के द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया।

3. यह भी कहा गया है कि विद्वान न्यायिक मैजिस्ट्रेट– प्रथम, देहरादून के द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 1141 / 2017 में पारित अपने आदेश दिनांक 03.10.2017 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 तथा 03 को परनीत सिंह सागर नाम के नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा में दखलंदाजी करने से रोक दिया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट देहरादून के समक्ष धारा 156 3 सी0आर0पी0सी0 के तहत भी एक प्रार्थना पत्र निजी विपक्षी के विरूद्ध पेश किया गया जिसके द्वारा यह याचना की गई कि थाना डालनवाला को एफ0आई0आर0 दर्ज करने तथा अन्वेषण करने हेतु निर्देशित किया गया है। परिवादी / प्रार्थिनी के धारा 200 सी0आर0पी0सी0 के तहत कथन अंकित किये गये। उसके द्वारा धारा 202 सी0आर0पी0सी0 के तहत भी एक प्रार्थना पत्र यह कहकर दिया कि अभियुक्तगण के द्वारा न्यायालय को भ्रमित किया जा रहा है तथा न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करते हुए उसके पुत्र परनीत सिंह सागर का अपहरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जोकि स्कूल के सी0सी0टी0वी0 फुटेज तथा स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी के कथनों से भी सत्यापित किया जा सकता है। प्रार्थिनी के द्वारा आगे कहा गया है कि धारा 202 सी0आर0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाय तथा थाना डालनवाला को इस सम्बन्ध में निर्देश पारित किया जाय।

5. विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2018 के द्वारा यह कहा गया कि परिवादी / प्रार्थिनी के द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 202 सी0आर0पी0सी0 के तहत अपने कथनों का समर्थन किया है। परिणामस्वरूप विद्वान मजिस्टेट के द्वारा आदेश दिनांकित 08.04.2018 के माध्यम से थानाध्यक्ष डालनवाला को घटना की सी0सी0टी0वी0 फुटेज प्रार्थिनी के खर्चे पर पेश करने हेतु निर्देशित किया गया तथा मामले की अगली तिथि 28.04.2018 नियत की गई। परिणामस्वरूप थाना डालनवाला के द्वारा दिनांक 15.05.2018 को रिपोर्ट यह कहते हुए प्रस्तुत की गई कि स्कूल प्राधिकारी के द्वारा सी0सी0टी0वी0 फुटेज उपलबध होने से इनकार किया गया। उसके बाद विद्वान मजिस्टेट के द्वारा दिनांक 18.07.2018 श्री सोहन सिंह को परीक्षित किया गया जिनके द्वारा प्रार्थिनी के कथानक का समर्थन किया गया। विद्यान मजिस्टेट ने पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अपने आदेश दिनांकित 04.08.2018 के माध्यम से दं0प्र0सं0 की धारा 204 के तहत विपक्षी संख्या 03 एवं बबनीश त्यागी को तलब किया गया।

6. उक्त तलबी आदेश दिनांकित 04.08.2018 से क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा पुनरीक्षण संख्या 242/2018 श्रीमती सुरिंदन कौर व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देहरादून के समक्ष पेश किया गया। तत्पश्चात विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देहरादून के द्वारा अपने आदेश दिनांकित 04.02.2019 के माध्यम से फौजदारी पुनरीक्षण स्वीकार किया गया तथा विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.08.2018 अपास्त किया गया तथा प्रकरण को मजिस्टेट को परिवाद नए सिरे से पुनरीक्षण न्यायालय के अवलोकन के अनुरूप निस्तारित करने हेतु प्रति प्रेषित कर दिया गया।

7. पुनरीक्षण न्यायालय ने दिए गए कथनों में दिए गए विरोधाभासों पर विचार और माणिकःआवेदक द्वारा दायर याचिका में एक तरफ कहा कि 06.02.2018 को जब वह अपने पिता के साथ अपने पुत्रों के साथ स्कूल जाने के लिए निकली तो उसकी सास ने अपने बेटे का अपहरण करने की कोशिश की लेकिन उसके बेटे के शोर मचाने के कारण लोग वहां जमा हो गए। जिसको देखकर श्रीमती सुरिंदर कौर और बबनीश त्यागी मौके से सिलवर आई 20 कार में भाग गए। दूसरी ओर परिवादी/अभियुक्त ने धारा 202 सीआरपीसी के तहत अपने गवाहों परीक्षित कराया है जिनका कहना है कि दिनांक 06.02.2018 को वह अपनी बेटी के साथ दोपहर 1:40 बजे बेटे को स्कूल ले जाने के लिए निकली और जब वह स्कूल के बाहर कार में बैठी थी तो उसने देखा कि भीड़ इक्ट्ठी थी और जब वह वहां गई उसने देखा कि सुंदर कौर ने उसकी बेटी को गले से पकड़ लिया और कह रही है कि वह उसे मार डालेगी और सुंदर कौर उसकी पोटली को ले जाने की कोशिश कर रही थी और जब बच्ची चिल्लाई तो वे सिल्वर.आई 20 कार से भाग गए।

8. यह नोट करना है कि विद्वान प्रधान न्यायाधीश फ़ैमिली कोर्ट देहरादून के द्वारा प्रार्थिनी को बेटे को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। ऐसा लगता है कि प्रार्थिनी ने संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करते समय उक्त निष्कर्षों को छुपाया है।

9. विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने मोंटेक आवेदक श्रीमती के व्याख्यान पर विचार किया। अविश्वासी कैंथ और उनके पिता सोहन सिंह जो विरोधाभासी संबंध रखते हैं और मेसर्स पेप्सी फूड लिमिटेड व अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्टेट आदि (1997) आई0एन0सी0 809 में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के आलोक में अपने आदेश दिनांकित 04.02.2019 के माध्यम से पुनरीक्षण स्वीकार किया गया तथा दिनांक 04.08.2018 के आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया गया।

10. इस न्यायालय के विचार में प्रति प्रेषण का आदेश अंतरिम प्रकृति का है। यह न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देहरादून के दिनांक 04.02.2019 के आदेश में किसी प्रकार की अवेधता, विकृति या क्षेत्राधिकारिता संबंधी त्रुटि विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग नहीं पाता है।

11. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देहरादून के दिनांक 04.02.2019 के पारित आदेश में किसी प्रकार की दखलंदाजी करने की कोई गुंजाईश नहीं है।

12. परिणामस्वरूप दं0प्र0सं0 की धारा 482 के तहत पेश फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

लोकपाल सिंह जे0

25.01.2021

नितेश